



राजस्थान सरकार


ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 2(8)परावि/प्रशा-1/आरआरडीएस/संस्था/2010/2419 जयपुर,दिनांक 17/10/17

आदेश

विभागीय आदेश कमांक 3866 दिनांक 23.12.2010 (क्रम संख्या 8) द्वारा श्रीमती सोनिया सिंघल को राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में दो वर्ष की कातावधि के लिए नियुक्ति प्रदान करने पर श्रीमती सोनिया सिंघल द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई। श्रीमती सिंघल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2013 के अन्तर्गत राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा (सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी) में चयन होने पर प्रशिक्षण के लिये उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः श्रीमती सोनिया सिंघल, RRDS, हाल विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नादौती जिला करौली को वित्त (कर) विभाग के आदेश कमांक एफ 7(20)वित्त/कर/2017 दिनांक 05.9.2017 के क्रम में राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा में चयन होने पर उक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत नियम 15 के तहत पदाधिकार (Lien) राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में सुरक्षित रखते हुए राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा में स्थायीकरण होने की सूचना विभाग को प्रस्तुत करने की शर्त के साथ कार्यमुक्त किया जाता है।


(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
8. महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग को आदेश कमांक एफ 7(20)वित्त/कर/2017 दिनांक 05.9.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
10. संभागीय आयुक्त भरतपुर।
11. जिला कलेक्टर करौली।
12. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली।
13. विकास अधिकारी पंचायत समिति नादौती जिला करौली।
14. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
15. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
16. आदेश पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)